

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(वि०अनु०शा०अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 14 अक्टूबर, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०),
वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०/स०प०/15-16/आनलाइन शापिंग/384/वाणिज्यकर दिनांक 13-05-2015 (कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1516009 दिनांक 14-05-2015), ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/स०प०/15-16/आनलाइन शापिंग/576/ वाणिज्यकर दिनांक 02-06-2015, विधि (1)/2008-09/परिपत्र भाग-2 /भाग-3 (15-16)/ 1047/ वाणिज्यकर दिनांक 19-08-2015 (कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1516033 दिनांक 19-08-2015), ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०/स०प०/15-16/आनलाइन शापिंग/ 1940/ वाणिज्यकर दिनांक 23-10-2015 (कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1516043 दिनांक 23-10-2015) एवं ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०/स०प०/15-16/आनलाइन शापिंग/ 2003/ वाणिज्यकर दिनांक 30-10-2015 (कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1516046 दिनांक 30-10-2015) द्वारा आनलाइन शापिंग / कोरियर सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों को एस०पी०एन० के दायरे में लाते हुए इसका व्यापक प्रचार- प्रसार कर उनसे वांछित प्रारूपों में प्रपत्र रखवाने, सर्विस प्रोवाइडर नम्बर प्रदान किए जाने की आनलाइन व्यवस्था से अवगत कराया गया है तथा एस०पी०एन० नम्बर दिये जाने के प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए तत्काल एस०पी०एन० नम्बर प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गये हैं।

2. प्रवेश कर की देयता से बचने के लिए ई-शापिंग कम्पनियों द्वारा दीपावली के अवसर पर एस०पी०एन० नम्बर न लेकर अत्यधिक मात्रा में कर योग्य वस्तुओं के परिवहन / भण्डारण का कार्य किया जा रहा है। अतः ऐसी ई-शापिंग कम्पनियों / कोरियर सर्विस कम्पनियों / ट्रांसपोर्टों, जो उ०प्र० में व्यापार कर रही है, को एस०पी०एन० प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया से अवगत कराते हुए अभियान चलाकर दिनांक 31-10-2016 तक ज्यादा से ज्यादा पंजीयन जारी कराना सुनिश्चित करें।

3. सचलदल / वि०अनु०शा० इकाइयों द्वारा कोरियर सर्विस कम्पनियों / ई-शापिंग कम्पनियों द्वारा परिवहित / भण्डारित माल की अभियान चलाकर सघन जांच कराना सुनिश्चित करें तथा जांच के दौरान माल / सम्ब्यवहार में प्रवेश कर पूर्व प्रदत्त प्रमाणित न होना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

निर्देशों का अनुपालन पूर्ण निष्ठा / कड़ाई से सुनिश्चित करें / करायें।


14/10/16.
(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिशनर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश